:: प्रेस नोट ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 20 जनवरी, 2016 को अन्तिम प्रकाशन किये जाने के उपरान्त निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अन्तर्गत बी0एल0ओ0 द्वारा घर–घर जाकर जांच एवं सत्यापन के दौरान निम्नानुसार दावे/आपत्तियां प्राप्त की गयी–

- नाम सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारूप–6 — 6999
- नाम हटाये जाने हेतु प्रारूप–7 — 4706
- शुद्धिकरण हेतु प्रारूप–8 — 6241

उक्तानुसार प्राप्त सभी दावे/आपत्तियों की निर्धारित साफ्टवेयर में डाटा इन्ट्री किये जाने के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2017 की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत निम्नानुसार क्रियाकलाप संचालित किये जायेगें।

- 01 अक्टूबर, 2016 को जनपद के तीनों विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा–4–बद्रीनाथ, 5–थराली (अ0जा0) एवं 6–कर्णप्रयाग में कुल 552 मतदेय स्थलों पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है।
- आलेख्य प्रकाशन पर जनपद में कुल पुरूष मतदाता 145894, महिला मतदाता 138294 इस प्रकार कुल मतदाता 284188 पंजीकृत हैं।
- आलेख्य प्रकाशन के दौरान दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 31 अक्टूबर, 2016 तक समस्त मतदेय स्थलों पर फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियां जनसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी।
- समस्त मतदेय स्थलों पर बी0एल0ओ0 की नियुक्ति की जा चुकी है तथा प्रारूप–6, 7, 8 उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- 01 जनवरी, 2017 को जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों, वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रारूप–6 में सम्बन्धित बी0एल0ओ0 के पास आवेदन कर सकते हैं।
- निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किसी मतदाता का (स्थानान्तरण, मृत, डुप्लीकेट होने की दशा में) नाम हटाये जाने हेतु प्रारूप–7 में आवेदन कर सकते हैं।
- निर्वाचक नामावली में मतदाता की किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने हेतु प्रारूप–8 में आवेदन कर सकते हैं।
- यदि किसी मतदाता द्वारा फोटो पहचान पत्र खोने अथवा नया रंगीन फोटो पहचान पत्र प्राप्त करना हो तो वे प्रारूप–8 के साथ रू0–25.00 का चालान सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा करते हुये प्राप्त कर सकते हैं।
- समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रो, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर भी प्रारूप–6,7,8 उपलब्ध कराये गये है, जिन्हें निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- प्रारूप–6,7,8 तहसील कार्यालयों एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।
- यदि किसी मतदाता को अपने नाम के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करनी हो तो वे www.ceo.uk.gov.in या www.nvsp.in की वैबसाइट पर सर्च कर सकते हैं।
- किसी भी जानकारी के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय के टोलफ्री नम्बर 18001804046 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

01/10/16

(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली।